इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर

(आईएसओ 9001-2015 द्वारा प्रमाणित)

IIBF VISION

खंड संख्या 16 | अंक संख्या 4 | नवम्बर, 2023 | पृष्ठों की संख्या - 10

विजन

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ 2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ 3
बैंकिंग जगत की घटनाएँ 4
विनियामक के कथन 5
आर्थिक संवेष्टन 5
नयी नियुक्तियाँ 6
उत्पाद एवं गठजोड़ 6
विदेशी मुद्रा 6
शब्दावली 7
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी 7
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां 7
संस्थान समाचार 8
नयी पहलकदमी 9
बाजार की खबरें 9

“इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।”

मुख्य घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने मानक निदेश जारी किए, 'प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों' वाला वर्गीकरण समाप्त किए

मान-आधारित विनियामक ढांचे पर भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश में 'प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों' वाला वह वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया है जिसे उन वित्त कंपनियों की पहचान करने के लिए वैश्विक संकट के बाद लागू किया गया था जो विफल होने की दृष्टि से अत्यधिक बड़ी थीं। किए गए परिवर्तन के अनुसार अब गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियामक ढांचे में चार परतों (layers) यथा- आधारभूत परत, मध्यम परत, ऊपरी परत और शीर्ष परत का समावेश है। आधारभूत परत में 1000 करोड़ रुपए से कम आस्ति आकार वाली जमा न स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ शामिल होंगी। मध्यम परत में जमा स्वीकार करने वाली ऐसी सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs-D) शामिल होंगी, जिनका आस्ति आकार चाहे जैसा भी क्यों न हो। ऊपरी परत में उन गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का समावेश होगा जिनकी भारतीय रिजर्व बैंक ने विशिष्ट रूप से ऐसी कंपनियों के रूप में पहचान कर रखी है जिनके लिए कुछेक विशिष्ट मापदण्डों एवं गुणांकन कार्यप्रणाली के आधार पर वर्धित विनियामक अपेक्षाएँ अभीष्ट हैं। शीर्ष परत ऊपरी परत की ऐसी विशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सहारा (accommodation) देने के लिए आदर्श रूप से रिक्त रहेंगी जिनसे संभाव्य प्रणालीगत जोखिम में वृद्धि होने का खतरा है।

सहकारी बैंकों के लिए अपने नाम बदलने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग का अनुमोदन आवश्यक

बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 का हवाला देते हुये भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि अपने नाम बदलने के इच्छुक सहकारी बैंकों के लिए संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालय के पर्यवेक्षण विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NoC) आवश्यक होगा। वास्तव में, भारतीय रिजर्व बैंक को इस प्रकार का अनुरोध केवल बैंक की सामान्य सभा (General body) के अनुमोदन के बाद ही किया जा सकता है।

ऊपर वर्णित अधिनियम की धारा 49 बी में निहित शर्तों के अनुसार सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (CRCS)/ सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार इस प्रकार के नाम परिवर्तन को शर्ष बैंक से एक लिखित आरूप में अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्राप्ति के बाद ही अनुमोदित कर सकते हैं। कोई भी सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी बैंकिंग लाइसेन्स में इस प्रकार का परिवर्तन किए बिना इसका प्रदर्शन/कोई परिचालन नहीं कर सकता।

साख सूचना कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश : ग्राहकों की साख रिपोर्ट तक ऋणदाताओं की पहुँच होने पर उन्हें (ग्राहकों को) एसएमएस/ई-मेल के जरिये सतर्क करें

भारतीय रिजर्व बैंक के अधिदेश (mandate) के अनुसार अब साख सूचना कंपनियों (CICs) को किसी भी ऋण संस्था (CI) की उनके ग्राहकों की साख रिपोर्ट तक पहुँच होने पर अपने ग्राहकों को एसएमएस अथवा ई-मेल चेतावनी भेजनी होगी।

ऋण संस्था के लिए उनकी ओर से साख सूचना कंपनियों के लिए ग्राहक परिवाद निवारण (redressal of customer grievances) के लिए एक समर्पित नोडल केंद्र/ संपर्क अधिकारी की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। ऋण संस्था साख सूचना कंपनियों को इस प्रकार के नोडल केंद्र/संपर्क अधिकारी के पूरे विवरण देगी। इसके अतिरिक्त, ऋण संस्था के लिए यह आवश्यक होगा कि वह प्रत्येक छः माह में कम से कम एक बार ग्राहक परिवादों के मूल कारण (root cause) का विश्लेषण करे और इस मूल कारण विश्लेषण (RCA) का ऋण संस्था के शीर्ष प्रबंधन द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार पुनरीक्षण किया जाएगा।

सेबी ने अपने धन-शोधन निवारण दिशानिर्देशों को परिष्कृत किया

वित्तीय आतंकवाद का मुक़ाबला करने के अपने स्थिर प्रयासों को और पुनर्जीवित करते हुये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अपने धन-शोधन निवारण मानकों को संशोधित कर दिया है। इन संशोधनों के अनुसार मेजबान देश द्वारा धन-शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तीयन का मुक़ाबला (CFT) करने से संबन्धित मानदंडों के स्वदेश की अपेक्षाओं के अनुरूप उपयुक्त कार्यान्वयन की अनुमति न दिये जाने पर वित्तीय समूहों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को

सूचित करें तथा जोखिमों को रोकने के लिए अतिरिक्त उपायों का प्रयोग करें। वित्तीय समूह धन-शोधन के प्रयासों से निपटने के लिए समूह-व्यापी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करेंगे। ये कार्यक्रम सभी शाखाओं तथा वित्तीय समूह की बहुलांश स्वाधिकृत सहायक/अनुषंगी कंपनियों पर लागू होंगे। रिपोर्टिंग संस्था/कंपनी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि न्यासीगण किसी खाता-आधारित संबंध के प्रारम्भ में ही अपनी हैसियत (status) को प्रकट करे दें।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ने अभिदाताओं को मूल निधि के 60% की प्रणालीबद्ध एकमुश्त आहरण सुविधा प्रदान की

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने प्रणालीबद्ध एकमुश्त आहरण (SLW) सुविधा के माध्यम से चरणबद्ध आहरण का विकल्प प्रदान किया है। अब अभिदातागण मासिक, तिमाही, अर्ध-वार्षिक अथवा वार्षिक आधार पर अपनी सामान्य सेवानिवृत्ति के समय यथा चयनित विधि से 75 वर्ष तक की अवधि के लिए अपनी पेंशन की मूल निधि का 60% तक आहरित करने में समर्थ होंगे।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वर्ण ऋण की सीमा दोगुनी किए जाने से शहरी सहकारी बैंक के ग्राहक लाभान्वित होंगे

शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के पास मध्यम वर्ग/न्यूनतर मध्यम वर्ग से ग्राहकों का एक ऐसा बड़ा खंड मौजूद है जो प्राय: स्वर्ण ऋण लेना पसंद करता है। ये ग्राहक उस एकबारगी चुकौती (Bullet Repayment) योजना से लाभ उठाते हैं जिसमें कोई उधारकर्ता ऋण की अवधि समाप्त होने पर ऋणदाता को मूलधन और ऋण पर ब्याज का भुगतान एकमुश्त (lump-sum) रूप में कर सकता है।

हाल के दिनों तक इस योजना के तहत स्वर्ण ऋणों की सीमा 2 लाख रुपए थी। हालांकि, सोने की कीमतों में भारी वृद्धि की पृष्ठभूमि में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए इस सीमा को बढ़ा कर 4 लाख रुपए कर दिया है। यह बढ़ोतरी केवल उन्हीं शहरी सहकारी बैंकों पर लागू होगी जिन्होंने 31 मार्च, 2023 के दिन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (PSL) के सभी लक्ष्यों एवं उप-लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है।

बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश : अपने ग्राहक को जानिए के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाएं, धन खच्चर खातों पर निगरानी रखें

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं (REs) से अपने ग्राहक को जानिए (KYC) के आवधिक अद्यतन हेतु जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा गया है। मूल निदेश को संशोधित करते हुये शीर्ष बैंक ने ग्राहक समुचित सावधानी (Custmer Due Diligence) के मानदंडों को भी कठोर बना दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि ग्राहक समुचित सावधानी के अधीन संग्रहीत सूचना अथवा आंकड़ों को विशेषत: संभाव्य रूप से उच्च जोखिम वाले मामलों में अद्यतन एवं सुसंगत रखा जाये। अपने ग्राहक को जानिए कार्य का अद्यतनकरण भी जोखिम-आधारित दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। खाते खोलने और लेनदेनों पर निगरानी रखने से संबंधित अनुदेशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, ताकि धन खच्चरों (Money Mules) के परिचालनों का मुक़ाबला किया जा सके। बैंक खातों तक अवैध पहुँच बना लेने वाले अपराधियों द्वारा फिशिंग और पहचान की चोरी जैसी धोखाधड़ी वाली योजनाओं से प्राप्त होने वाली राशियों का शोधन (launder) करने हेतु धन खच्चरों का उपयोग किया जाता है। धन खच्चर के रूप में चिन्हित खातों पर अति सावधान निगरानी रखी जानी चाहिए। ऐसे खातों में किसी भी संदेहास्पद लेनदेन की रिपोर्ट तत्काल वित्तीय आसूचना इकाई- भारत (FIU-IND) को दी जानी चाहिए।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए थोक मीयादी जमा सीमा बढ़ा कर 1 करोड़ रुपए की गई

अधिक निधियाँ जुटाने के एक प्रयास में भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के मामले में थोक जमाराशियों के मानदंड को वर्तमान 15 लाख रुपए से बढ़ा कर 1 करोड़ रुपए कर दिया है। संशोधित नियमों के अनुसार थोक जमा से अभिप्राय है (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोडकर) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) तथा लघु वित्त बैंकों (SFBs) के मामले में 2 करोड़ रुपए और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमा और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में 1 करोड़ रुपए और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमा।

1 करोड़ रुपए तक की सावधि जमाराशियों की समय-पूर्व आहरण सुविधा से ग्राहकों को लाभ पहुंचेगा

एक स्वागत-योग्य मुहिम में भारतीय रिजर्व बैंक अप्रतिदेय (non-callable) सीमा को 15 लाख रुपए से बढ़ा कर 1 करोड़ रुपए किए जाने से संबन्धित निर्णय के उपरांत अब वैयक्तिक ग्राहकों से प्राप्त 1 करोड़ रुपए और उससे कम की सभी घरेलू सावधि जमाराशियों (TDs) के समय-पूर्व आहरण को लाभ पहुंचेगा। अप्रतिदेय मीयदी जमाराशियां वे होती हैं जो समय-पूर्व आहरण सुविधा नहीं प्रदान करतीं। इन मीयादी जमाराशियों में निवेश की गई धनराशि परिपक्वता अवधि तक रुद्ध पड़ी रहती हैं। अब भारतीय रिजर्व बैंक ने यह आदेश दिया है कि सभी वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों के ग्राहकों को 1 करोड़ रुपए तक की मीयादी जमाराशियों (FDs) से धनराशि आहरित करने की अनुमति दी जाए। यह सुविधा अनिवासी (विदेशी) रुपया (NRE) जमा/साधारण अनिवासी (NRO) जमाराशियों पर भी लागू होगी।

चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों से कम से कम दो पूर्णकालिक निदेशक रखने की अपेक्षा करता है

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों की पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कंपनियों से अपने बोर्डों में प्रबंध निदेशक (MD) तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) सहित कम से कम दो पूर्णकालिक निदेशक (WTD) नियुक्त करने के लिए कहा गया है। परिचालनों के आकार, व्यवसाय की जटिलता और ऐसे ही अन्य कारकों के आधार पर पूर्णकालिक निदेशकों की संख्या दो से अधिक भी हो सकती है। न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा न करने वाले बैंकों से चार माह के भीतर पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति हेतु अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। यह निर्णय बैंकिंग क्षेत्र की बढ़ती जटिलता की पृष्ठभूमि में लिया गया है, जो चुनौतियों से प्रभावी रीति से निपटने के लिए अपेक्षाकृत सुदृढ़ वरिष्ठ प्रबन्धन और बेहतर उत्तराधिकार आयोजना को आवश्यक बना देती है।

भारतीय रिजर्व बैंक सीमा-पार वाले भुगतान लेनदेनों को सुगम बनाने हेतु संस्थाओं का विनियमन करेगा

सीमा-पार वाले भुगतानों के क्षेत्र में हो रही घटनाओं को ध्यान में रखते हुये भारतीय रिजर्व बैंक ने माल एवं सेवाओं के आयात एवं निर्यात के लिए भुगतान लेनदेनों की सुविधा प्रदान करने वाली सभी संस्थाओं/कंपनियों को स्वयं अपने विनियमन के अधीन लाने का निर्णय लिया है। ऐसी संस्थाओं/कंपनियों को भुगतान समाकलक- सीमा-पार (PA-CB) माना जाएगा। भुगतान समाक़लक़-सीमा-पार का कार्य करने वाले बैंकों को भुगतान समाकलक-सीमा-पार की आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करने हेतु 30 अप्रैल, 2024 तक की अंतिम तिथि दी गई है। वर्तमान में भुगतान समाकलक की सेवाएँ प्रदान करने वाली बैंकेतर संस्थाओं के लिए प्राधिकरण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन प्रस्तुत करते समय 15 करोड़ रुपए की निवल मालियत रखना आवश्यक है तथा 31 मार्च, 2026 तक न्यूनतम 25 करोड़ रुपए की निवल मालियत रखना अपेक्षित है। ऐसे बैंकेतर भुगतान समाकलक –सीमा-पार जिन्होंने अब तक परिचालन प्रारम्भ नहीं किया है, किन्तु जो वैसा करने के इच्छुक हैं, को आवेदन प्रस्तुत करते समय तथा 3रे वित्त वर्ष के अंत तक न्यूनतम 25 करोड़ रुपए की निवल मालियत प्राप्त कर लेनी चाहिए।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

वित्तीय स्थिति अनुरक्षित रखने हेतु सरकारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे के तहत लाया जाएगा

सही समय पर पर्यवेक्षी हस्तक्षेप करने में समर्थ बनाने और प्रभावी बाजार अनुशासन लाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के लिए 1 अक्तूबर, 2024 से (उन कंपनियों को छोडकर जो आधारभूत परत में हैं) सरकारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों जैसा त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) ढांचा लागू करेगा। इन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए यह कार्रवाई 31 मार्च, 2024 अथवा उसके बाद के लेखा-परीक्षित वित्तीय परिणामों पर आधारित होगी। उक्त ढांचा उसे लागू किए जाने के तीन वर्ष बाद पुनरीक्षण के अधीन होगा तथा इसे उपयुक्त समय पर पर्यवेक्षी हस्तक्षेप संभव बनाने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है, ताकि सुधारात्मक उपायों को सामयिक रीति से लागू किया जा सके। त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे को किसी संस्था/कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रत्यावर्तित करने और प्रभावी बाजार अनुशासन लाने के रूप में देखा जा रहा है।

ऋण संस्थाओं/ साख सूचना कंपनियों द्वारा साख सूचना को सुधारने में देरी किए जाने पर ग्राहक प्रतिकर/मुआवजे के पात्र

अब ऋण संस्थाओं (CIs) और साख सूचना कंपनियों (CICs) के ग्राहक उनकी साख सूचना के अद्यतनकरण अथवा परिशोधन/सुधार हेतु उनके अनुरोध को शिकायत के प्रारम्भिक तौर पर दर्ज कराये जाने की तिथि से 30 दिनों के भीतर न निपटाए जाने पर प्रति कैलेंडर दिवस 100 रुपए के प्रतिकर/मुआवजे के पात्र/हकदार होंगे। सुधार कर लिए जाने के बाद ऋण संस्था सुधारे गए विवरण साख सूचना में अशुद्धता के बारे में सूचित किए जाने के इक्कीस दिनों के भीतर साख सूचना कंपनी अथवा शिकायतकर्ता को भेजेगी। इस ढांचे को कार्यान्वित करने हेतु ऋण संस्थाओं और साख सूचना कंपनियों को आवश्यक प्रणाली एवं प्रक्रियाएं स्थापित करने के लिए छ: महीनों का समय दिया गया है।

विनियामक के कथन

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास मौद्रिक नीति के सक्रिय रूप से अवस्फीतिकारी बने रहने के प्रति आशान्वित

कौटिल्य आर्थिक निर्वाचिका सभा (conclave) 2023 में बोलते हुये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने कहा कि शीर्ष बैंक मूल्य स्थिरता और वित्तीय स्थिरता के पारस्परिक रूप से संपूरक कारकों को प्रभावी तौर पर नियंत्रित रखने का अविरत प्रयास कर रहा है। यह कहते हुये कि मौद्रिक नीति हमेशा चुनौतीपूर्ण होती है तथा उसमें आत्मतोष (complacency) के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती, श्री दास ने इस बात पर भी बल दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि मुद्रास्फीति जुलाई, 2023 के 7.44% के चरम स्तर से सुचारु रूप से घटती रहे मौद्रिक नीति का सक्रिय रूप से अवस्फीतिकारी (Disinflationary) बने रहना जरूरी है। खुदरा मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक के सुखद स्तर पर वापस आ गई क्योंकि बनस्पति और ईंधन की कीमतों में विमंदन (moderation) आने के कारण वह घटकर सितंबर, 2023 में तीन माह के कमतर स्तर 5.02% पर पहुँच गई। गवर्नर ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष उपस्थित चुनौतियों की त्रयी (triad) यथा- मुद्रास्फीति, मंद होती वृद्धि तथा वित्तीय स्थिरता के प्रति जोखिमों की भी चर्चा की। हालांकि, उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि मार्च, 2024 में समाप्त होने वाले राजकोषीय वर्ष में भारत के 6.5% सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर दर्ज करने और इसप्रकार वैश्विक वृद्धि का नया इंजन बन जाने की आशा है।

वहनीय वित्त से आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा: भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर

भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे॰ ने कृषिष बैंकिंग महाविद्यालय (CAB), पुणे में एक व्याख्यान दिया जिसमें उन्होंने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए ऋणदाताओं द्वारा संगठनात्मक प्रथाओं में वहनीय (sustainable) वित्त के सिद्धांतों को समाविष्ट किए जाने की आवश्यकता प्रतिपादित की। वित्तीय समावेशन एवं वहनीय वित्त संयोजित किए जाने पर वे एक साथ मिलकर बीमा उत्पादों एवं बचत व्यवस्थाओं तक पहुँच को सुगम बना कर सुभेद्य जनसंख्या की पर्यावरण संबंधी और जलवायु जोखिमों के प्रति बेहतर आघात-सहनीयता (resilience) विकसित करने मे सहायता कर सकते हैं। उन्होंने हरित वित्तीयन (green financing) को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जा रहे प्रयासों, यथा - पर्यावरणात्मक संरक्षण (environmental protection), सामाजिक न्याय (social equity) तथा उत्तरदाई अभिशासन के साथ आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए एक महान पहलकदमी का भी जिक्र किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 'हरित जमाराशियां' स्वीकार करने हेतु एक ऐसा ढांचा तैयार किया है जो हरित वित्त पहलकदमियों (ऐसी परियोजनाएं जिनमें जलवायु जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन (adaptation) अथवा आघात-सहनीयता (resilience) और वैसे ही अन्य कार्य शामिल हैं) का निधीयन करने के लिए विशिष्ट रूप से उद्दिष्ट भारतीय रुपए में ब्याज वाहक मीयादी जमाराशियों के रूप में हैं। यह कदम देश में हरित वित्त पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) को पोषित (nurture) करने, भारत में एक अधिक वहनीय एवं पर्यावरण की दृष्टि से सचेत वित्तीय क्षेत्र का निर्माण करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

आर्थिक संवेष्टन

सितम्बर, 2023 के लिए आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी मासिक आर्थिक समीक्षा की मुख्य बातें

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अक्तूबर, 2023 में भारत के लिए अपने वृद्धि संबंधी अनुमान 20 आधार अंकों की ऊर्ध्वमुखी वृद्धि करते हुये 6.3% के रूप में संशोधित किया है।

- वित्त वर्ष 24 की 1ली छमाही में निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के अंतर्वाह (inflows) वित्त वर्ष 23 की 1ली छमाही में निवल बहिर्वाहों (outflows) की तुलना में धनात्मक बने रहे।
- वर्षानुवर्ष आधार पर वित्त वर्ष 24 की प्रथम छमाही में चालू खाते का शेष तथा उसके संघटक यथा – तिजारती व्यापार और व्यापार की अदृश्य मदों (invisibles) ने वित्त वर्ष 24 की 1ली तिमाही की तुलना में बेहतर कार्य-निष्पादन किया।
- अगस्त, 23 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज हुई, जो पिछले 14 महीनों में सर्वोच्च है।
- अप्रैल-अगस्त, 2023 की अवधि में प्रत्यक्ष कर राजस्व में वर्षानुवर्ष आधार पर 26.6% की वृद्धि दर्ज हुई।
- अप्रैल-अगस्त, 23 की अवधि में पूंजीगत व्यय (capital expenditure) वर्षानुवर्ष आधार पर 48.1% अधिक रहा।
- जून, 2023 के अंत में ग्रामीण ऋण में वर्षानुवर्ष 16.1% की वृद्धि हुई।
- विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा 2023 के लिए वैश्विक तिजारती व्यापार के परिमाण में वृद्धि का अद्यतन अनुमान 0.8% है।

नयी नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम
श्री मुनीष कपूर	कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक
श्री संदीप बख्शी	आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में पुनर्नियुक्त
श्री शशिधर जगदीशन	एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में पुनर्नियुक्त
श्री पी. आर. शेषाद्री	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, साउथ इंडियन बैंक

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	जिससे गठजोड़ हुआ वह संगठन	उद्देश्य
एयू लघु वित्त बैंक	फिनकेयर लघु वित्त बैंक	वास्तविक रूप से एक अखिल भारतीय विशेष विक्रय अधिकार (franchise) सृजित करने हेतु संपूरक भौगोलिक मौजूदगी और उत्पाद समूह से लाभ उठाना।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ		
मद	27 अक्तूबर, 2023 के दिन करोड रुपए	27 अक्तूबर, 2023 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	4879087	586111
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4307970	517504
1.2 सोना	382289	45923
1.3 विशेष आहरण अधिकार	149095	17910
1.4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधियाँ	39733	4773

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

नवम्बर, 2023 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों के लिए वैकल्पिक संदर्भ दरों (ARRs) की आधार दरें

मुद्रा	दरें
अमरीकी डालर	5.31
जीबीपी	5.1866
यूरो	3.903
जापानी येन	-0.013
कनाडाई डालर	5.0400
आस्ट्रेलियाई डालर	4.10
स्विस फ्रैंक	1.699679

मुद्रा	दरें
न्यूजीलैंड डालर	5.5
स्वीडिस क्रोन	3.894
सिंगापुर डालर	3.7830
हांगकांग डालर	4.20746
म्यांमार रुपया	3.00
डैनिश क्रोन	3.5280

स्रोत : www.fbil.org.in

शब्दावली

धन खच्चर (Money Mule)

धन खच्चर कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो धोखाधड़ी के शिकार व्यक्तियों से आए हुये धन को प्राप्त करता है और उसे ले जाता है। कुछेक धन खच्चरों को यह ज्ञात होता है कि वे आपराधिक गतिविधि में सहायता कर रहे हैं, किन्तु अन्य लोग (धन खच्चर) इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि उनके कृत्यों से धोखेबाज़ों (fraudsters) को सहायता प्राप्त हो रही है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

घातांकी चल औसत (EMA)

घातांकी चल औसत (EMA) एक ऐसा चल औसत होता है जो अत्याधुनिक डेटा केन्द्रों पर महत्तर भार एवं सार्थकता (significance) निर्मित करता है। सभी चल औसतों की भांति इस तकनीकी संकेतक का उपयोग पारंपरिक औसत से विनिमयों (crossovers) एवं अपविंदुताओं (divergences) के आधार पर संकेत (signal) निर्मित करने, खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है। व्यापारीगण प्राय: 10-दिवसीय, 50-दिवसीय और 200 दिवसीय चल औसतों जैसे कतिपय भिन्न-भिन्न घातांकी चल औसत लम्बाइयों का उपयोग करते हैं।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

नवंबर, 2023 माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थान
सीएआईआईबी की संपर्क कक्षाएं	14 अक्तूबर - 19 नवंबर, 2023	प्रौद्योगिकी पर आधारित
बैंकों के लिए अनुशासन प्रबंधन, जांच-पड़ताल और अनुशासनिक कार्रवाई/कार्यवाहियाँ	21 से 23 नवंबर, 2023	
प्रभावी अनुपालन: बैंकों को विनियामक के जुर्माने से बचाने का एक साधन पर कार्यक्रम	22 से 24 नवंबर, 2023	
नेतृत्व (लीडरशिप) और टीम निर्माण पर कार्यक्रम	28 से 29 नवंबर, 2023	
प्रमाणित बैंक प्रशिक्षक पर कार्यक्रम	28 से 30 नवंबर, 2023	

संस्थान समाचार

आईआईबीएफ द्वारा अंतर-बैंक प्रश्नमंच प्रतियोगिता - बैंकिंग चाणक्य के 3रे संस्करण की शुरूआत की

अंतर-बैंक प्रश्नमंच प्रतियोगिता – बैंकिंग चाणक्य 2023 का 3रा संस्करण 25 सितंबर, 2023 से प्रारम्भ हुआ। आनलाइन प्रारम्भिक और उपांत-पूर्व (quarter final) फेरी के समावेश वाले इस आयोजन का प्रथम चरण सितंबर- अक्तूबर, 23 माह के दौरान पूरा हो गया। प्रत्येक अंचल से सफल अर्हक (qualifier) अब इस आयोजन के दूसरे चरण में सहभागिता करेंगे, जिसमें अंचलीय उपांत फेरियों (semi-final) और राष्ट्रीय अंतिम फेरियों (final) का समावेश है, जिन्हें 23 दिसंबर और उसके बाद भौतिक विधि (physical mode) से आयोजित किया जाएगा। इसके संबंध में और अधिक अद्यतन जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट https://www.iibfbankingchanakya.com/ देखें।

आईआईबीएफ ने आईबीबीआई के साथ समझौता ज्ञापन नवीकृत किया

संस्थान ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 पर विशेष बल सहित दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर प्रमाणन पाठ्यक्रम हेतु भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) के साथ अपना समझौता ज्ञापन नवीकृत कर लिया है। उक्त समझौता ज्ञापन भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के अध्यक्ष श्री रवि मित्तल और दोनों ही संस्थाओं के अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंकिंग एंड फाइनैन्स - अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने संयुक्त रूप से जलवायु जोखिम एवं वहनीय वित्त पर एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की शुरूआत की

संस्थान ने जलवायु जोखिम एवं वहनीय वित्त पर एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) के साथ एक करार कर रखा है। उक्त पाठ्यक्रम की शुरूआत 23 मई, 2023 को सेंट रेगिस हाल, मुंबई में की गई। यह पाठ्यक्रम ई-शिक्षण (e-learning) के रूप में है जिसमें 4-6 घंटों के शिक्षण के उपरांत एक मूल्यांकन सत्र आयोजित किया जाता है। पाठ्यक्रम की सफल पूर्णाहुति पर इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा संयुक्त रूप से प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।

जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी – संशोधित पाठ्यक्रम की शुरूआत

जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या उन्हें अधिक समसामयिक, सकल्पनात्मक बनाने तथा महत्तर मूल्य-वर्धन सुनिश्चित करने के लिए पुनरसंरचित एवं संशोधित कर दी गई है। इस संबंध में संस्थान के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने पाठ्यक्रम को संशोधित किए जाने की आवश्यकता पर सदस्यों को एक सदेश भी संबोधित किया है। संशोधित पाठ्यक्रमों के अधीन विषयों, परीक्षा के स्वरूप, उत्तीर्णन की समय-सीमा, उत्तीर्णन मानदंड आदि के बारे में एक विस्तृत सूचना वेबसाइट पर भी डाली गई है। उक्त संक्रमण को अभ्यर्थियों के लिए अधिक अनुकूल बनाने हेतु नयी पाठ्यचर्या में पुरानी पाठ्यचर्या से कुछेक विषयों के लिए श्रेय (credits) दिये जाने की अनुमति दी गई है। संशोधित पाठ्यचर्या के अधीन परीक्षाएँ मई/जून, 2023 और उसके बाद से आयोजित की जाएंगी। संस्थान द्वारा निषेधात्मक (negative) अंक दिये जाने से संबन्धित नियम को आस्थगित कर दिया गया है। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

आगामी अंक के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तु

अक्तूबर- दिसंबर, 2023 तिमाही के लिए बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक हेतु विषय-वस्तु है: Climate Risk & Sustainable Finance.

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/

दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि

(i) संस्थान द्वारा मार्च, 2023 से अगस्त, 2023 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 2022 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) संस्थान द्वारा सितंबर, 2023 से फरवरी, 2024 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2023 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

बाजार की खबरें

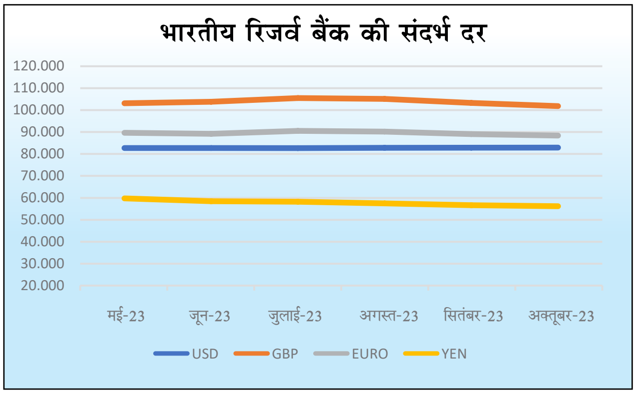

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

स्रोत: एफबीआईएल

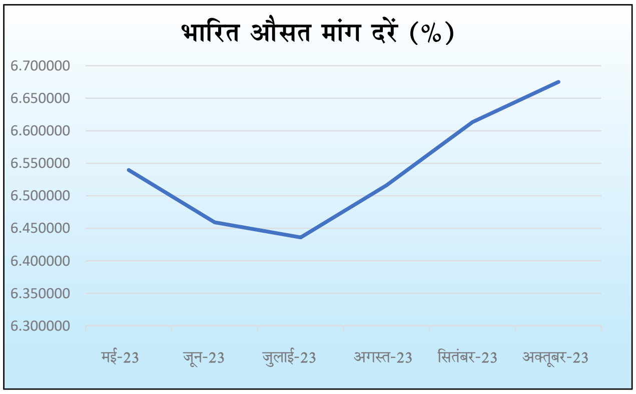

भारित औसत मांग दरें (%)

स्रोत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूज़लेटर

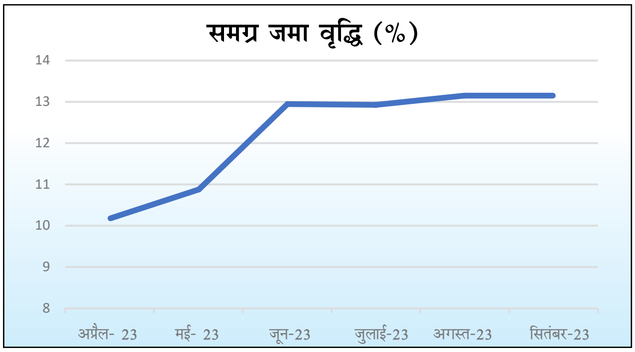

समग्र जमा वृद्धि (%)

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड,अक्तूबर, 2023

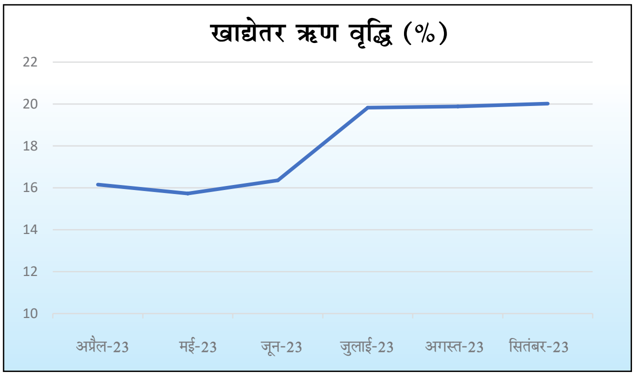

खाद्येतर ऋण वृद्धि (%)

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समशोधन निगम लिमिटेड, अक्तूबर, 2023

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

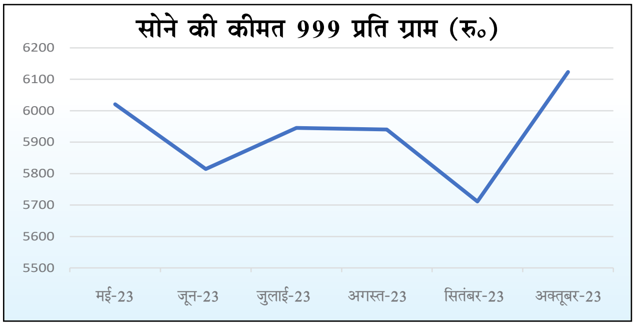

स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

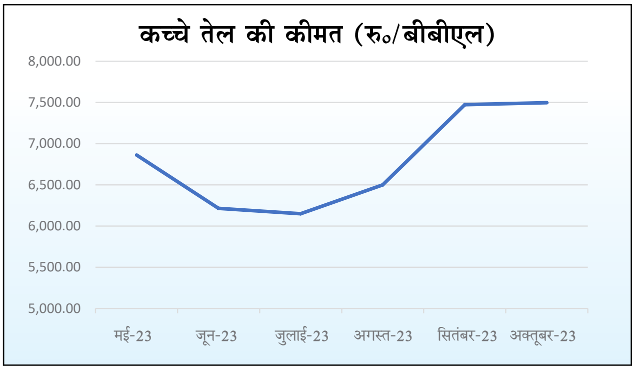

स्रोत: पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

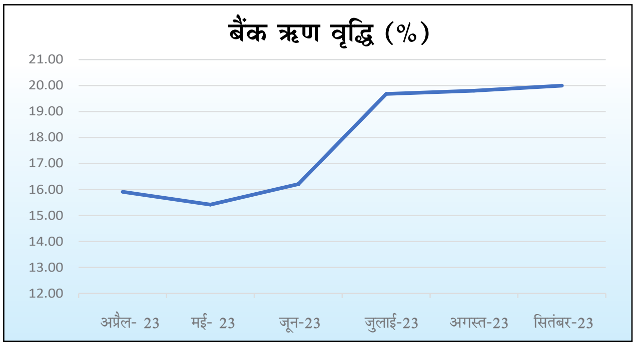

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

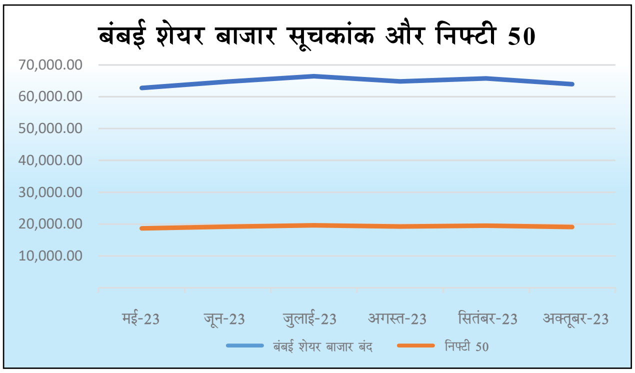

स्रोत: बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

Printed by Biswa Ketan Das, **Published by** Biswa Ketan Das, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and **printed at** Onlooker Press 16, Sasoon Dock, Colaba, Mumbai - 400 005 and **published** at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Editor : Biswa Ketan Das

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W),
Mumbai - 400 070.
Tel. : 91-22-6850 7000
E-mail : admin@iibf.org.in
Website : www.iibf.org.in